13.01.25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उप॰ नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम-पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो। 13/01/25 सहायक कलेक्टर ([illegible]), [illegible]